सं. 4-6/2015-बीपी-2(कल्याण संस्थान)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 18 जनवरी 2016

सेवा में

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम
16-20 बाराखम्बा लेन
नई दिल्ली- 110001

विषय : अक्टूबर, 2015 से मार्च 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक आवंटन पत्र दिनांक 07 मई, 2015 और 14 दिसम्बर 2015 के अनुक्रम में वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही (अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016) के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर कल्याण संस्थान स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को 1900 टन चावल का मासिक आवंटन माह अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निर्देश हुआ है। राज्य सरकार के पास गेहूं की 607 टन मात्रा अव्यतीत/बची हुई मात्रा होने के कारण, राज्य सरकार को गेहूं का आवंटन नही किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ सरकार को अक्टूबर, 2015 से जनवरी 2016 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से क्रमश: 45 और 50 दिनों तक होगी और फरवरी, 2016 से मार्च, 2016 के लिए यह सरकार के तत्काल निर्देश के अनुसार होगी।

3. भारतीय खाद्य निगम उपरोक्त पैरों में के अनुसार खाद्यान्न (चावल) जारी करेगा। खाद्यान्नों की उक्त मात्रा राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न की लागत के पूर्व-भुगतान पर राज्य सरकार को भारतीय खाद्य निगम के नजदीकी गोदाम/डिपो से जारी की जाएगी।

4. भारतीय खाद्य निगम अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी करें और इस विभाग को भी तदनुसार सूचित करें ।

भवदीय,
असित
(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1 सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार- वर्ष 2016-17 के लिए खाद्यान्न आवंटन पर, वर्ष 2015-16 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर संबंधित खाद्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19-ए में प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण खाद्यान्न के गैर-आवंटन की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार की होगी।

2. महा प्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

3. संचलन-1/नीति-1/अवर सचिव(बीपी-3)/गार्ड फाईल।